रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1976/माघ 27, 1897
No. 56] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1976/MAGHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 16th February 1976

G.S.R. 83(E).—In pursuance of sub-rule (3) of rule 224 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby specifies the period commencing from the 17th day of February, 1976 and ending with the 15th day of March, 1976 (both days inclusive) as the period during which removals of excisable goods for home consumption shall be subject to the provisions of that sub-rule.

[No. 29/76-C.E.]

KRISHNA KANT, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

सा० का० नि० 83 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) के अनुसरण में, 1976 की फरवरी के सत्रहवें दिन आरम्भ

होने वाले और 1976 के मार्च के पन्द्रहवें दिन समाप्त होने वाली (दोनो दिनों को सम्मिलित करते हुए) अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसके दौरान उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, जो स्थानीय उपभोग के लिए हो, हटाया जाना उक्त उपनियम के उपबन्धों के अधीन होगा।

[सं० 29/76-सी० ई०]

कृष्णा कान्त, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976